भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1784
दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एटीएम से जुड़े चोरी के मामले

†1784. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) तमिलनाडु के करूर जिले में मई 2025 से आज की तिथि तक एटीएम से जुड़े चोरी के मामलों की संख्या कितनी है; और
(ख) तमिलनाडु के करूर जिले में मई 2025 से आज की तिथि तक एटीएम से नकदी चोरी या एटीएम कार्ड के दुरुपयोग के लिए दर्ज एफआईआर की संख्या कितनी है और इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अवगत कराया है कि तमिलनाडु के करूर ज़िले में घटित एटीएम चोरी के मामलों के संबंध में उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं एबं अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा अपनी-अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, ताकि वे कानून और व्यवस्था बनाए रख सके तथा यह सुनिश्चित कर सके कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, वह विधि के अनुसार तत्काल दंडित हो।

*****